

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.



मि०न० - 22/2019

अनवान : -

1. गुलामबेगम पत्नी बशीरअली जाति कायमखानी निवासी तहसील भादरा

वादी

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र बलभद्र जाति महाजन निवासी तहसील भादरा।
2. सलीम पुत्र सदूखों जाति व्यापारी निवासी त० भादरा।
3. शिवकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भादरा।
4. समशाद पुत्र लियाकतखों कायमखानी निवासी भादरा।
5. युसुफ पुत्र मुमताजखान जाति कायमखानी निवासी भादरा।
6. नवाब खों पुत्र जस्सुखों जाति कायमखानी निवासी भादरा।
7. निसारखान पुत्र गुलाममोहम्मद निवासी कायमखानी बास भादरा।
8. जगतपाल पुत्र स्व० राजाराम जाति गोदारा निवासी भादरा।
9. वेदपाल पुत्र स्व० राजाराम जाति गोदारा निवासी भादरा।
10. सतपाल पुत्र स्व० राजाराम जाति गोदारा निवासी भादरा।
11. ईश्वरसिंह पुत्र डूंगरराम कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी हाल निवासी भादरा।
12. एसबीआई बस स्टैण्ड भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी

निर्णय

दिनांक: 08/7/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता सं० 18/18 के मु०न० 26 के किला न० 20/1 की 0.127है० किला न० 21 की 0.253है० मु०न० 27 के किला न० 15/1 की 0.089है० किला न० 16/1 की 0.089है० किला न० 25 की 0.253है० मु०न० 30 के किला न० 5, 6 प्रत्येक किला की 0.253है० मु०न० न० 31 के किला न० 1, 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253है० इस प्रकार कुल 2.076है०, नहरी 2.050है० गै०मु० खाला 0.026है० में वादीया के नाम 41-1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा

उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। वादीया ने अपने हिस्से की खातेदारी में सिंचाई हेतु ट्यूबवैल भी लगा रखा है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादीया भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ता 11 के विरुद्ध हाजिर नहीं होने पर एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार भादरा से पक्षकारान के हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व निवेदन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डीकी किया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीया ने रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता सं० 18/18 के मु०न० 26 के किला न० 20/1 की 0.127है० किला न० 21 की 0.253है० मु०न० 27 के किला न० 15/1 की 0.089है० किला न० 16/1 की 0.089है० किला न० 25 की 0.253है० मु०न० 30 के किला न० 5, 6 प्रत्येक किला की 0.253है० मु०न० न० 31 के किला न० 1, 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253है० इस प्रकार कुल 2.076है०, नहरी 2.050है० गै०मु० खाला 0.026है० में वादीया के नाम 41-1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया। तथा मुताबिक हिस्सा अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें-

हिस्सा वादीया गुलामबैगम - चक 8 बीएचडी के खाता सं० 18/18 के मु०न० 30 के किला न० 6/1 की 0.126है० व मु०न० 31 के किला न० 10/1 की 0.127है० किला न० 11 की 0.253है० इस प्रकार कुल 0.506है० नहरी खातेदारी।

हिस्सा प्रतिवादीगण जितेन्द्र पुत्र बलभद्र 0.439है० सलीम पुत्र सदुखॉ 0.439है० षिवकुमार 0.137है० समषाद खॉ 0.116है० यूसूफ खॉ 0.088है० नवाबखॉ वल्द जस्सूखॉ 0.088है० निषार खॉ 0.138है० राजाराम (प्रतिवादीगण सं० 9 ता 10 के पिता) 0.004है० ईश्वरसिंह 0.121है० - चक 8 बीएचडी के खाता सं० 18/18 के मु०न० 26 के किला न० 20/1 की 0.127है० किला न० 21 की 0.253है० मु०न० 27 के किला न० 15/1 की 0.089है० किला न० 16/1 की 0.089है० किला न० 25/1 की 0.227है० नहरी किला न० 25/2 की 0.026है० गै०मु० खाला मु०न० 30 के किला न० 5 की 0.253है० किला न० 6/2 की 0.127है० मु०न० 31 के किला न० 1 की 0.253है० किला न० 10/2 की 0.126है० इस प्रकार कुल 1.570है० नहरी मय खाला जिसमें नहरी 1.544है० नहरी व 0.026है० गै०मु० खाला।

BL
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हिस्सा वादी सं० 4 याकुब - चक 8 बीएचडी के खाता सं० 23/20 के मु०न० 13 के किला न० 1 की 0.253है० नहरी किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी व किला न० 2/2 की 0.025है० गै०मु० खाला

हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 सदीक खॉ - चक 8 बीएचडी के खाता सं० 23/20 के मु०न० 13 के किला न० 17, 24 प्रत्येक की 0.253है० नहरी कुल किता 2 की 0.506है० खातेदारी।

इसी अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। और यदि किसी खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहननामा खातेदार के हिस्सा अनुसार स्थानान्तरित करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...०८/७/२२... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मादरा
मादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीनअधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 22/2019

अनवान : -



1. गुलामबेगम पत्नी बशीरअली जाति कायमखानी निवासी तहसील भादरा

वादी

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र बलभद्र जाति महाजन निवासी तहसील भादरा।
2. सलीम पुत्र सदूखों जाति व्यापारी निवासी त० भादरा।
3. शिवकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भादरा।
4. समशाद पुत्र लियाकतखों कायमखानी निवासी भादरा।
5. युसुफ पुत्र मुमताजखान जाति कायमखानी निवासी भादरा।
6. नवाब खों पुत्र जस्सुखों जाति कायमखानी निवासी भादरा।
7. निसारखान पुत्र गुलाममोहम्मद निवासी कायमखानी बास भादरा।
8. जगतपाल पुत्र स्व० राजाराम जाति गोदारा निवासी भादरा।
9. वेदपाल पुत्र स्व० राजाराम जाति गोदारा निवासी भादरा।
10. सतपाल पुत्र स्व० राजाराम जाति गोदारा निवासी भादरा।
11. ईश्वरसिंह पुत्र डूंगरराम कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी हाल निवासी भादरा।
12. एसबीआई बस स्टैण्ड भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के सगक्ष वकील वादीया श्री मंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता सं० 18/18 के मु०न० 26 के किला न० 20/1 की 0.127है० किला न० 21 की 0.253है० मु०न० 27 के किला न० 15/1 की 0.089है० किला न० 16/1 की 0.089है० किला न० 25 की 0.253है० मु०न० 30 के किला न० 5, 6 प्रत्येक किला की 0.253है० मु०न० न० 31 के किला न० 1, 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253है० इस प्रकार कुल 2.076है०, नहरी 2.050है० गै०मु० खाला 0.026है० में वादीया के नाम 41-1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी

दर्ज है में मुताबिक हिस्सा अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार रिकार्ड में दर्ज किया जावे-

उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)


हिस्सा वादीया गुलामबैगम - चक 8 बीएचडी के खाता सं० 18/18 के मु०न० 30 के किला न० 6/1 की 0.126है० व मु०न० 31 के किला न० 10/1 की 0.127है० किला न० 11 की 0.253है० इस प्रकार कुल 0.506है० नहरी खातेदारी।

हिस्सा प्रतिवादीगण जितेन्द्र पुत्र बलभद्र 0.439है० सलीम पुत्र सदुखॉ 0.439है० शिवकुमार 0.137है० समषाद खॉ 0.116है० यूसूफ खॉ 0.088है० नवाबखॉ वल्द जस्सूखॉ 0.088है० निषार खॉ 0.138है० राजाराम (प्रतिवादीगण सं० 9 ता 10 के पिता) 0.004है० ईष्वरसिंह 0.121है० - चक 8 बीएचडी के खाता सं० 18/18 के मु०न० 26 के किला न० 20/1 की 0.127है० किला न० 21 की 0.253है० मु०न० 27 के किला न० 15/1 की 0.089है० किला न० 16/1 की 0.089है० किला न० 25/1 की 0.227है० नहरी किला न० 25/2 की 0.026है० गै०मु० खाला मु०न० 30 के किला न० 5 की 0.253है० किला न० 6/2 की 0.127है० मु०न० 31 के किला न० 1 की 0.253है० किला न० 10/2 की 0.126है० इस प्रकार कुल 1.570है० नहरी मय खाला जिसमें नहरी 1.544है० नहरी व 0.026है० गै०मु० खाला ।

इसी अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। और यदि किसी खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहननामा खातेदार के हिस्सा अनुसार स्थानान्तरित करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

सह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/11/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व))
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़